



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112023-249920
CG-DL-E-07112023-249920

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4623]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 6, 2023/कार्तिक 15, 1945

No. 4623]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 2023/KARTIKA 15, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2023

का.आ. 4822(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1192 (अ), दिनांक 03 दिसंबर 2001 द्वारा हरियाणा और पंजाब राज्य में नया एनएच सं. 44 (पुराना एनएच सं. 1) के किमी 96.000 से 387.100 तक पानीपत से जालंधर तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का. आ. 926(अ) दिनांक 06 अप्रैल 2009 एवं संख्या का. आ. 1729 (अ) दिनांक 10 जुलाई 2014 का अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा और पंजाब राज्य में नया एनएच सं. 44 (पुराना एनएच सं. 1) के किमी 96.000 से 387.100 तक पानीपत से जालंधर तक खंड के चार या अधिक लेन के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 283.612 कि.मी. के लिए यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों का 100% और 74.88 कि.मी (जिनकी लंबाई 7.488 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनो पर 100% की आधार दर से शुल्क उद्धृती करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम०) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे लिया जाने वाला एवं संग्रहीत किया जाने वाला शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए उल्लिखित सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान होगा:-

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
करनाल जिले में घरौंदा के पास एनएच-44 (पुराना एनएच -1) के किमी 111.483 पर	108.119 [10 करोड से अधिक की लागत के बाईपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
अंबाला जिले में घग्गर नदी के पास एनएच-44 (पुराना एनएच -1) के किमी 211.805 पर	64.328 [10 करोड से अधिक की लागत के बाईपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
लुधियाना जिले में लाडोवाल गांव के पास एनएच-44 (पुराना एनएच -1) के किमी 328.050 पर	111.165 [10 करोड से अधिक की लागत के बाईपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचों, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचों की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी - 3			
शुल्क प्लाजा का स्थान जरीब दूरी (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचे की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
करनाल जिले में घरौंदा के पास एनएच-44 (पुराना एनएच -1) के किमी 111.483 पर	1.881*	18.81	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

अंबाला जिले में घग्गर नदी के पास एनएच-44 (पुराना एनएच -1) के किमी 211.805 पर	1.672**	16.72	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
लुधियाना जिले में लाडोवाल गांव के पास एनएच-44 (पुराना एनएच -1) के किमी 328.050 पर	3.935***	39.35	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

*व्योरा इस प्रकार है:

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (मीटर में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	107.305	107.395	फ्लाईओवर	90.0
2	121.280	121.370	फ्लाईओवर	90.0
3	122.230	122.320	फ्लाईओवर	90.0
4	128.780	129.050	वायडक्ट	270.0
5	131.510	131.689	बडा पुल	178.8
6	158.005	158.095	फ्लाईओवर	90.0
7	160.197	160.304	बडा पुल	107.0
8	175.111	175.188	बडा पुल	77.0
9	179.755	179.845	फ्लाईओवर	90.0
10	180.755	180.845	फ्लाईओवर	90.0
11	180.871	181.247	बडा पुल	376.40
12	185.862	185.938	बडा पुल	76.2
13	194.668	194.833	बडा पुल	165.4
14	203.055	203.145	फ्लाईओवर	90.0
कुल				1880.80

**व्योरा इस प्रकार है:

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (मीटर में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	206.500	206.620	वायडक्ट	120.0
2	211.264	211.337	बडा पुल	73.2
3	212.034	212.168	बडा पुल	133.5
4	214.459	214.542	बडा पुल	82.5
5	221.967	222.034	बडा पुल	67.58
6	226.540	226.660	बडा पुल	120.0
7	227.580	227.670	फ्लाईओवर	90.0
8	255.200	255.710	वायडक्ट	510.0

9	260.148	260.353	बडा पुल	205.1
10	265.405	265.495	फ्लाईओवर	90.0
11	265.995	266.085	फ्लाईओवर	90.0
12	267.905	267.995	फ्लाईओवर	90.0
कुल				1671.88

***ब्योरा इस प्रकार है:

क्रम सं.	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (मीटर में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	272.485	272.575	फ्लाईओवर	90.0
2	273.005	273.095	फ्लाईओवर	90.0
3	273.955	274.045	फ्लाईओवर	90.0
4	293.155	293.245	फ्लाईओवर	90.0
5	294.131	294.470	बडा पुल	339
6	310.005	310.095	फ्लाईओवर	90.0
7	311.355	311.445	फ्लाईओवर	90.0
8	312.355	312.445	फ्लाईओवर	90.0
9	313.655	313.745	फ्लाईओवर	90.0
10	314.400	314.610	वायडकट	210.0
11	320.100	320.310	वायडकट	210.0
12	328.665	329.336	बडा पुल	670.6
13	343.155	343.245	फ्लाईओवर	90.0
14	353.020	354.160	फगवाडा वायडकट /एलीवेटिड	1140.0
15	363.688	363.912	बडा पुल	223.8
16	371.205	371.295	फ्लाईओवर	90.0
17	372.405	372.495	फ्लाईओवर	90.0
18	372.969	373.031	आरओबी	61.64
19	379.555	379.645	फ्लाईओवर	90.0
कुल				3935.04
चेनेज 96.000 से 387.100 के बीच संरचनाओं की कुल लंबाई				7487.72

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2023-24 के लिए मासिक पास की दर 330.00 /- रूपए (तीन सौ तीस रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-4		
देय राशि	अनुमत्ये एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैद्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में उल्लिखित परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दर प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 4218.27 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. 11012/पीएच-वी/एनएच-1/सोमाआई सोलक्स/डीके-II/2008/सार्वजनिक वित्त पोषित शुल्क अधिसूचना/ई-206011]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2023

S.O. 4822(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1192(E) dated 3rd December, 2001, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the Panipat to Jalandhar section from Km 96.000 to 387.100 of New NH No. 44 (Old NH No. 1) in the State of Haryana & Punjab to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008

(hereinafter referred to as the “rules”) and in suppression of the notifications S.O. No. 926 (E) dated 6th April, 2009 & S.O. No. 1729 (E) dated 10th July, 2014, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 100% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 283.612 km for the use of Four lane or above and at 100% of the base rate specified in columns (2) of the Table 1 and for total equivalent length of structure (having more than 60m length) of 74.88 Km (having total length of 7.488 Km) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Panipat to Jalandhar section from Km 96.000 to 387.100 of New NH No. 44 (Old NH no. 1) in the State of Haryana & Punjab and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Type of vehicle (1)	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees) (2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s), namely:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 111.483 of NH-44 (old NH1) Near Gharaunda in Karnal District	108.119 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 211.805 of NH-44 (old NH-1) Near Ghaggar River in Ambala District	64.328 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 328.050 of NH-44 (old NH-1) Near Ladowal Village in Ludhiana District	111.165 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 111.483 of NH-44 (old NH-1), Near Gharaunda in Karnal District	1.881*	18.81	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 211.805 of NH-44 (old NH-1), Near Ghaggar River in Ambala District	1.672**	16.72	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 328.050 of NH-44 (old NH-1), Near Ladowal Village in Ludhiana District	3.935***	39.35	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

*The details of structure are as under: -

Sr no.	Chainage		Type of Structure	Length (in m)
	From Km	To Km		
1	107.305	107.395	Flyover	90.0
2	121.280	121.370	Flyover	90.0
3	122.230	122.320	Flyover	90.0
4	128.780	129.050	Viaduct	270.0
5	131.510	131.689	Major Bridge	178.8
6	158.005	158.095	Flyover	90.0
7	160.197	160.304	Major Bridge	107.0
8	175.111	175.188	Major Bridge	77.0
9	179.755	179.845	Flyover	90.0
10	180.755	180.845	Flyover	90.0
11	180.871	181.247	Major Bridge	376.40
12	185.862	185.938	Major Bridge	76.2
13	194.668	194.833	Major Bridge	165.4
14	203.055	203.145	Flyover	90.0
Total				1880.80

**The details of structure are as under: -

Sr no.	Chainage		Type of Structure	Length (in m)
	From Km	To Km		
1	206.500	206.620	Viaduct	120.0
2	211.264	211.337	Major Bridge	73.2
3	212.034	212.168	Major Bridge	133.5
4	214.459	214.542	Major Bridge	82.5
5	221.967	222.034	Major Bridge	67.58
6	226.540	226.660	Major Bridge	120.0
7	227.580	227.670	Flyover	90.0
8	255.200	255.710	Viaduct	510.0
9	260.148	260.353	Major Bridge	205.1
10	265.405	265.495	Flyover	90.0
11	265.995	266.085	Flyover	90.0
12	267.905	267.995	Flyover	90.0
Total				1671.88

***The details of structure are as under: -

Sr no.	Chainage		Type of Structure	Length (in m)
	From Km	To Km		
1	272.485	272.575	Flyover	90.0
2	273.005	273.095	Flyover	90.0
3	273.955	274.045	Flyover	90.0
4	293.155	293.245	Flyover	90.0
5	294.131	294.470	Major Bridge	339
6	310.005	310.095	Flyover	90.0
7	311.355	311.445	Flyover	90.0
8	312.355	312.445	Flyover	90.0
9	313.655	313.745	Flyover	90.0
10	314.400	314.610	Viaduct	210.0
11	320.100	320.310	Viaduct	210.0
12	328.665	329.336	Major Bridge	670.6
13	343.155	343.245	Flyover	90.0

14	353.020	354.160	Phagwara Viaduct/Elevated	1140.0
15	363.688	363.912	Major Bridge	223.8
16	371.205	371.295	Flyover	90.0
17	372.405	372.495	Flyover	90.0
18	372.969	373.031	ROB	61.64
19	379.555	379.645	Flyover	90.0
Total				3935.04
Total Length of Structures in between Chainage 96.000 to 387.100				7487.72

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 330 (Three Hundred and Thirty Rupees Only) for the year 2023-24 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rs. 4218.27 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. 11012/Ph-V/NH-1/SomaIsolux/DK-II/2008/FeeNotificationonPublicfunded/E-206011]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.